न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

बैठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 09/2022

1. हरिसिंह पुत्र गोकल
2. कैलाश पुत्र गोकल
3. गजानन्द पुत्र गोकल

समस्त जाति मीणा निवासी सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रैवन्यु एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 03/01/2022 तहसीलदार कोटपूतली ब उनवान सरकार बनाम हरिसिंह वगैरह मु.नं. 133/2021 बाबत खसरा नम्बर गै0मु0 नदी वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 9.3.2022

1. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील तहसीलदार कोटपूतली के आदेश 03/01/2022 ब उनवान सरकार बनाम हरिसिंह मु.नं. 133/2021 बाबत ख.नं. 144 रकबा 14.32 गै0मु0 नदी वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली के विरूद्व पेश की है, जिसमें संक्षेपं में वृतान्त इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पेश किये है कि प्रार्थीगण को न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान का एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् दिनांक 02/11/2021 का जारी हुआ प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थीगण को सुनवायी हेतु दिनांक 18/11/2021 नियत की गयी थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि पटवारी हल्का सरूण्ड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की सम्मत 2078 में प्रार्थीगण् अपीलान्ट ने ग्राम सरूण्ड के हाल आराजी ख.नं. 144/14.32 किस्म गै.मु. नदी वाके मौजा सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में रकबा 0.50 है0 में अवैध रूप से टीन शैड मकान व बोरिंग कर अतिकमण कर रखा है, जिस पर परिवाद दर्ज कर अपीलान्टस् को एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत जरिये नोटिस सूचित कर तलब किया गया। वास्ते जवाब 03/01/2022 को नियत् की गयी बाद तामील प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सुने तथा प्रार्थी अपीलान्ट के पिठ के पिछे से निर्णय दिनांक 03/01/2022 को बतौर अतिकमी मानकर आराजी ख.नं. 144 रकबा 14.32 किस्म जमीन गै0मु0 नदी वाके सरूण्ड तहसील कोटपूतली में 0.50 है0 पर गैर सायलान अतिकमण मानकर तारामीरा की फसल को कब्जेराज लेकर फसल निलाम किसे जाने व गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व 3–3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने एवं नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशि 20/– रूपये का पचास गुना 1000/– एक हजार रूपये अर्थदण्ड के रूप में जुर्माना किये जाने के आदेश दिये जाते है व रूपये वसूल हेतु भू.अ. निरीक्षक व वसूली हेतु पटवारी हल्का को लिखा जाने के आदेश दिये। प्रार्थी अपीलान्ट कतई संतुष्ट नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गलत निर्णय पारित किया है। उक्त

आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है। निर्णय दिनांक 03/01/2022 मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत तथा तथ्यों के विधि विरूद्व हुआ है जो निरस्त किये जाने योग्य है। हाल ख.नं. 144/14.32 की किस्म गै.मु. नदी नहीं है ना ही वहा कोई नदी का बहाव क्षेत्र है। उक्त जमीन पर प्रार्थी के बुर्जुर्गान द्वारा सन् 1955 से खेती करते आ रहे है उसके बाद अपीलान्ट के पिता खेती कर रहे है और उससे फुट स्टेप पर प्रार्थीगण कृषि कर रहे है, जिसका समय-समय पर लगान भी अदा किया जाता है रहा है जो कि अपीलानट के बुजुर्ग बतौर खातेदार काश्तकार सैकडों सालों से काबिज काश्त चले आ रहे है जिस पर उनके समय से ही बोरिंग व कृषि की सिचांई का साधन बना हुआ है व उसके पशु उक्त गली पर चलते आ रहे है। इस प्रकार अपीलान्ट ने ना तो कोई अतिकमण किया है ना ही वह कोई नदी नालों का उपभोग किया है। अपीलान्ट केवल-केवल अपना जीवन यापन करने के लिए उक्त भूमि पर कृषि करके अपना जीवनयापन कर रहा है क्योंकि उक्त भूमि से लगती अन्य व्यक्ति की खातेदारी काश्तकार की भूमि है, जिस पर वो उनसे कब्जा प्राप्त करके काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय ने पीठ पिछे से एक तरफा निर्णय पारित किया है, जो शुरू से ही शून्य एवं बेसर है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। उक्त जगह में परिवार सहित रह रहा है। पशु वगैरह बांधते है। प्रार्थीगण् के पास उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में ना ही मौका रिपोर्ट तलब की एवं ना ही स्वयं ने मौका देखा। पटवारी हल्का ने झुठी रिपोर्ट तैयार की है। पटवारी हल्का नहीं कभी मौके पर गया ना ही जांच की तथा ना ही नापतौल की मात्र कयास के आधार पर कार्यालय में बैठकर झुठी रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार पटवारी हल्का की झुठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की है ना ही प्रार्थी को सुना गया। इसलिए आदेश 03/01/2022 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने कोई अतिकमण नहीं किया है ना ही करेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयानों एवं उनकी रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे निर्णय देने में भारी भूल की है। अतः आदेश 03/01/2022 जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 03/01/2022 तहसीलदार कोटपूतली ब उनवान सरकार बनाम हरिसिंह वगैरह मु.नं. 133/2021 बाबत ख.नं. 144 रकबा 14.32 गै0मु0 नदी वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निरस्त फरमावें तथा अपीलान्ट की अपील मंजूर फरमावें।

2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील नोटिस प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।

3. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का कथन है कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने धारा 91 एल. आर एक्ट के तहत् प्रकरण दर्ज कर गैर सायल/अपीलान्ट के विरूद्व आराजी ख. नं. 144 रकबा 14.32 गै0मु0 नदी वाके ग्राम सरूण्ड में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण मानते हुये दिनांक 03/01/2022 को गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने फसल निलामी एवं तीन माह की सिविल करावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये तथा पैनल्टी राशि के आदेश दिये गये है, जबकि आराजी ख.नं. 144/14.32 की किस्म गै0मु0 नदी नहीं है ना ही वहां कोई नदी का बहाव क्षेत्र है। उक्त जमीन पर प्रार्थी/अपीलान्ट के बुजुर्गान उक्त भूमि पर खेती करते आ रहे है। उसके पश्चात् प्रार्थी के पिता तथा उनके फुट स्टेप पर कृषि करते है, जिसका समय-समय पर लगान भी अदा करते आ रहे है। अपीलान्ट के बुजुर्गान बतौर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है उनके समय से ही बोरिंग कृषि की सिचाई का साधन बना हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट ने ना तो

नदी नालों का उपयोग किया है तथा ना ही कोई अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट केवल उक्त भूमि पर कृषि कर अपना जीवन यापन कर रहे है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर ना तो कभी नाप तौल किया, ना ही कभी जांच की केवल कयास के आधार पर झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर उक्त आदेश दिनांक 03/01/2022 को पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है। प्रार्थीगण उक्त मकान में परिवार सहित रह रहा है तथा पशु वगैरह ही बांधते है। प्रार्थी में पास उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है। प्रार्थी कृषि कार्य कर अपना परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित कर तीन माह की सजा तथा भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है, जो न्याय विरूद्व है। यदि प्रार्थी/अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया जायेगा तथा सजा माफ नहीं की गयी तो अपीलान्ट का परिवार बच्चे बेघर हो जायेंगे। इसलिए अपीलान्ट की अपील को मंजूर फरमावें।

4. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अभिकथन किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ पूर्व में मिन 45/2020 में पारित निर्णय 05/4/2021 द्वारा बेखल कर फसल निलामी की गयी थी, लेकिन अपीलार्थी ने पुनः अतिक्रमण कर तारामीरा फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी अतिक्रमण करने का आदतन अपराधी है। अतः अपील खारिज फरमावें।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।.अवलोकन करने से प्रकरण धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 अतिक्रमण से सम्बन्धित है। अपीलान्ट ने आ.ख.नं. 144 रकबा 14.32 हैक्टर किस्म गै0मु0 नदी में से 0.50 हैक्टर पर तारामीरा की नाजायज रूप फसल काश्त करने पर पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष पेश होने पर नियमानुसार गैर सायल को नोटिस जारी कर गैर सायल/अपीलान्ट अवैध रूप से अतिक्रमण कर फसल काश्त करने के पश्चातवर्ती की श्रेणी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखली किये जाने फसल कब्जेराज लेकर फसल निलामी तथा उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने व 3–3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिनांक 03/01/2022 को पारित किये है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि आराजी ख.नं. 144/14.32 की किस्म गै0मु0 नदी नहीं है ना ही वहां कोई नदी का बहाव क्षेत्र है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट के बुजुर्गान निरन्तर खेती करते आ रहे है जिसका समय–समय पर लगान भी अदा करते है तथा बुजुर्गान के समय से ही बोरिंग कृषि सिंचाई का साधन बना हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट ने ना तो कोई अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट केवल उक्त भूमि पर कृषि कर अपना जीवन यापन करते है। पटवारी हल्का ना तो कभी मौके पर गया तथा ना ही कभी मौके की नाप तोल की केवल कयास के आधार पर झुठी रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की है। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 03/01/2022 को निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है जो खारिज की जावें।

चूँकि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर नाजायज रूप से भूमि का अतिक्रमण कर तारामीरा की फसल काश्त की है। सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 03/01/2022 को निर्णय पारित कर उक्त आरांजी ख.नं. 144 किस्म गै.मु. नदी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश तथा अपीलान्ट/गैर सायल के विरूद्व 3–3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी

जिला कलक्टर (जयपुर)

बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट कृषि भूमि की काश्त कर अपना जीवन यापन करता है। अपीलान्ट के कृषि कार्य के अलावा और कोई जीवन यापन करने का अन्य कोई साधन नहीं है। यदि उक्त सरकारी भूमि में अपीलान्ट/गैर सायल का नाजायज अतिकमण पाया गया तो अपीलान्ट स्वयं हटा लेगा ऐसी स्थिति को मध्य नजर रखते हुये अपीलान्ट के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/01/2022 में तीन-तीन माह की सिविल कारावास की सजा को स्थिगित करने के आदेश दिये जाते है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2022 के शेष आदेश यथावत रहेगे। अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 03/01/2022 में सिविल कारावास की सजा के अलावा शेष आदेशों की पालना करना सुनिश्चित् करें।

6. यह निर्णय आदिनांक 9-3-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)